राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3818/2025

रजनी बाला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.08.2020 के द्वारा अपीलार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति के तहत पटवारी के पद पर नियुक्त किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.08.2020 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2022 को अपनी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली गयी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा अत्यधिक विलम्ब से करवायी गयी जिसका परिणाम दिनांक 05.12.2023 को जारी किया गया। जिसमें अपीलार्थी के उत्तीर्ण होने पर अपीलार्थी को पटवारी पद पर स्थाईकरण व वेतन नियमितीकरण किया गया। अपीलार्थी द्वारा 02 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 17.08.2022 से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 05.12.2023 तक मात्र काल्पनिक लाभ दिया गया है, जो सरासर गलत है। जबकि स्थाईकरण व वेतन नियमितीकरण अलग–अलग विषय है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इसको अनदेखा किये जाने से अपीलार्थी को दिनांक 17.08.2022 से दिनांक 04.12.2023 तक अपने हक के वेतन से वंचित होना पड़ा। राजस्थान सेवा नियम व पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन नियमितीकरण 02 वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परीक्षा व रिजल्ट विलम्ब से जारी किया जान विभाग की गलती है जिसकी सजा अपीलार्थी को दिया जाना अपीलार्थी के साथ अन्याय है। राज्य सरकार के सभी नियमों

में स्पष्ट है कि यदि 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण किया है तो वेतन नियमितीकरण 02 वर्ष की अविध पूर्ण करने के दिन से ही मान्य होगा। स्थाईकरण आदेश चाहे कभी भी जारी हो। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को 02 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 17.08.2022 से दिनांक 04.12.2023 तक के शेष नगद भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)